न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 09/2022 — दायर दिनाँक 03.01.2022

वादी		प्रतिवादी
1. भूराराम पुत्र आईदानराम जाति जाट उम्र 68 वर्ष निवासी नोजला की ढ़ाणी, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह वकील वादी।

–:: **निर्णय** ::–

दिनाँक 27.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है खेत खसरा सं0 15 रकबा 4.4600 हैक्टे0 वाकै केराप स्थित है, जिसकी खातेदारी में वादी भुराराम के पिता का गलत नाम राजस्व रेकर्ड में किस्तुर दर्ज है।

यह है कि उक्त खेत की खातेदारी में वादी भुराराम के पिता का नाम आईदानराम की बजाय किस्तुर सहवन से दर्ज हो गया, जबकि वादी भुराराम के पिता का सही नाम आईदानराम है, तथा भुराराम के आधार कार्ड, पहचान पत्र वोटर लिस्ट आदि सभी दस्तावेजात में भुराराम पुत्र आईदानराम नाम दर्ज है।

यह है कि उक्त खेत की खातेदारी में वादी के पिता के नाम का गलत अंकन हो जाने के कारण सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में अड़चन आने लग गयी है। इसलिये वादी अपने पिता के नाम के गलत अंकन को सही करवाना चाहता है, जिसका वह कानूनन हकदार है, अतः वादी को दावा अपने पिता के नाम की दुरूस्ती करने बाबत यह दावा करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी यह है कि :–

यह है कि खेत खसरा सं0 15 रकबा 4.4600 हैक्टे0 वाकै केराप की खातेदारी में वादी के पिता के नाम का गलत अंकन भुराराम पुत्र किस्तुर की बजाय भुराराम पुत्र आईदानराम किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया। वाद में उपरोक्त वर्णित खसरान् में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादी के पिता का नाम भुराराम पुत्र किस्तुर के स्थान पर भुराराम पुत्र आईदानराम किया जाना उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:35:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद केराप के खसरा सं0 15 में उपलब्ध साक्ष्यों व तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के आधार पर वादी के पिता का नाम भुराराम पुत्र किस्तुर के स्थान पर भुराराम पुत्र आईदानराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **27.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:39:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 09/2022 दायर दिनाँक 03.01.2022

वादी		प्रतिवादी
1. भूराराम पुत्र आईदानराम जाति जाट उम्र 68 वर्ष निवासी नोजला की ढ़ाणी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 27.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद केराप के खसरा सं0 15 में उपलब्ध साक्ष्यों व तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के आधार पर वादी के पिता का नाम भुराराम पुत्र किस्तुर के स्थान पर भुराराम पुत्र आईदानराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 27.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:39:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner